रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/91.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 12 मार्च, 1991/21 फाल्गुन, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 11 मार्च, 1991

संख्या 1-10/91-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1991 (1991 का विधेयक

527-राजपत्र/91-12-3-91—1,180. (275) मूल्य : 1 रुपया ।

संख्यांक 4) जो दिनांक 11-3-1991 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो गया है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

लक्ष्मण सिंह,
सचिव।

1991 का विधेयक संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1991

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के ब्यालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1991 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

1968 का 12.

2. हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) इस अधिनियम में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, वीडियो प्रदर्शन का स्वत्वधारी, जो संदाय करने पर शो को प्रदर्शित करता है और एक सौ से न्यून व्यक्तियों के लिए सीटों की धारिता रखता है, अग्रिम रूप से और सरकार द्वारा समय-समय पर विहित रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, तीस हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक की दर से मनोरंजन शुल्क संदत्त करने के लिए दायी होगा :

परन्तु वीडियो प्रदर्शन का स्वत्वधारी, जो संदाय करने पर शो को प्रदर्शित करता है और एक सौ या एक सौ से अधिक व्यक्तियों के लिए सीटों की धारिता रखता है, उस दर पर जो उप-धारा (1) के अधीन और विहित रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, मनोरंजन शुल्क संदत्त करने के लिए दायी होगा ।"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन, राज्य सरकार वीडियो प्रदर्शन पर तीस हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक का मनोरंजन शुल्क एक मुश्त उद्ग्रहीत कर सकती है परन्तु सीटों की धारिता के बारे इस में कोई अधिकतम सीमा नहीं है। परिणामतः सिनेमा स्वामियों में अपने सिनेमा घरों को वीडियो घरों में सम्परिवर्तित करने की प्रवृति पैदा हो गई है ताकि कम मनोरंजन शुल्क संदत्त किया जाए, इस कारण से राजकोष को भारी हानि हो रही है। राजस्व की हानि को रोकने के लिए पर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 को संशोधित करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नगीन चन्द्र पाल,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला :
11 मार्च, 1991.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर, किसी अतिरिक्त खर्च के बिना, राजकोष को होने वाली लगभग तीन लाख रुपये की हानि की प्रतिपूर्ति होगी ।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन ।

विधेयक के खण्ड 2 में राज्य सरकार को वीडियो प्रदर्शन के लिए मनोरंजन शुल्क के संदाय की रीति और दर विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रस्ताव है । यह प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य प्रकार का है ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश ।

[नस्ति संख्या इ0एक्स0एन-0एफ0(15)-1/89-आबकारी एवं कराधान विभाग]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1991 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संधिान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 4 of 1991.

THE HIMACHAL PRADESH ENTERTAINMENTS DUTY (AMENDMENT) BILL, 1991.

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 (*Act No.* 12 *of* 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-second Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Entertainments Duty (Amendment) Act, 1991.

Amendment of section 3.

12 of 1968

2. For sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 the following shall be substituted, namely:—

"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the proprietor of a video exhibition, exhibiting shows on payment and having seating capacity of less than one hundred persons, shall be liable to pay entertainments duty in advance and at a rate not exceeding rupees 30,000 per month as may be specified by the Government from time to time in the manner prescribed:

Provided that the proprietor of a video exhibition, exhibiting shows on payment and having seating capacity of one hundred or more than one hundred persons, shall be liable to pay entertainments duty at the rate as may be specified under sub-section (1) and in the manner prescribed."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under sub-section (2) of section 3 of the Himachal Pradesh Entertainments Duty Act, 1968 the State Government can levy lump-sum entertainment duty on video exhibitions at a rate not exceeding rupees 30,000/- per month but there is no maximum limit regarding seating capacity. It has resulted into a tendency of the Cinema owners to convert their Cinema halls into Video halls in order to pay less entertainment duty thereby causing heavy loss to the State exchequer. In order to prevent the loss of revenue, it is essential to amend section 3 of the aforesaid Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

SHIMLA:
The 11th March, 1991.

NAGIN CHANDER PAL,
Minister-in-charge.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill, when enacted, will recoup the annual loss of revenue to the tune of Rs. 3,00,000/- approximately to the State exchequer without involving any extra expenditure.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill proposes to authorise the State Government to specify the rate and the manner of payment of entertainments duty for video exhibitions. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. EXN-F(15)-1/89, Excise and Taxation Department]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Entertainments Duty (Amendment) Bill, 1991, recommends under Article 207 of the Constitution of India the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित ।